# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009

**Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112**


क्रमांक / विउशिनिफोरा / 2026 / 22 रायपुर, दिनांक 11 MAY 2026

**प्रति,**

1. M/s RYB Frozen Foods Private Limited,
   Vill. – Nahana Chandi, Teh. – Abhanpur, Raipur
   **Add.** – Block D, RDA Building, Sharda Chowk,
   Distt. - Raipur (C.G.) 492001
   Mob.No. – 94255-01356, 0771-4916404

2. अधीक्षण अभियंता (संचा / संधा) वृत्त,
   छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

**विषय** :– प्रकरण कमांक / 05 / रायपुर(ग्रा.) / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर ग्रामीण द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

**संलग्न** :– उपरोक्तानुसार ।

(अशोक खण्डेलवाल)
**अध्यक्ष**
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

**प्रतिलिपि** :– मुख्य अभियंता (रायपुर ग्रामीण क्षेत्र), छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर ।

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)
## सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

**विषयः–** Petition for change of tariff category from HV-3 (Industry) to HV-5 (Irrigation and agriculture allied services and public water works activities) for M/s RYB Frozen Foods Pvt. Ltd., BP No. 1023811, contract demand 750 KVA on 33 KV.

प्रकरण क्रमांक / 05 / रायपुर(ग्रा.) / 2026

M/s RYB Frozen Foods Private Limited, ....आवेदक

Vill. – Nahana Chandi, Teh. – Abhanpur, Raipur

**Add.** – Block D, RDA Building, Sharda Chowk,

Distt. - Raipur (C.G.) 492001

Mob.No. – 94255-01356, 0771-4916404

विरूद्ध

अधीक्षण अभियंता (संचा / संधा) वृत्त, ....उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 11 / 05 / 2026 को घोषित)

1. आवेदक M/s RYB Frozen Foods Private Limited द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 01.04.2026 यह है कि –

(i) Nature of Activity (Agriculture Allied Service) -

We process and preserve agricultural produce such as mutter, Gobhi, Bhindi, Potatoes and other vegetables.

These products are highly perishable (Shelf life 3-7 days) and are preserved at -20°C to extend usability for distribution and consumption.

Our activity is directly linked to agriculture and qualifies as an agriculture allied service.

(ii) Seasonal Demand Profile –

Bulk power consumption is concentrated in January-March (average demand 700-750 KVA).

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

. During the remaining months, demand reduces to 300-400 KVA.

No existing tariff category reflects this seasonal/operational profile.

(iii) Past Application Ignored –

We applied for change of tariff category on 03.02.2018.

No action or formal communication has been received from CSPDCL to date.

(iv) Regulatory Precedent (Milk Chilling Plants) –

As per CSERC tariff order dated 11.07.2025 (FY 2025-26) milk chilling plants are explicitly included under HV-5.

Our vegetable preservation process is technologically identical and agriculturally allied, hence should be treated under HV-5.

(v) Residual Nature of HV-3 –

HV-3 is defined in the same tariff order as all industries not covered under HV-1, HV-2, HV-4.

Since our activity is agricultural allied, it does not belong in HV-3.

(vi) Unfair Cost Burden –

Billing under HV-3 imposes higher energy charges, increasing production costs and reducing competitiveness.

Other industries (e.g., steel) receive concessions such as load factor subsidies, but no similar provision exists for agro-linked industries.

(vii) Government Recognition –

We received production certification from the district trade and industries Centre Raipur on 19.01.2019, classifying our unit as a fruit and vegetable preservation industry, recognized as part of the agriculture sector.

(viii) Comparative Policy in Other States -

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर
(ग्रामीण)

Gujarat has introduced separate tariff categories for similar units.

Madhya Pradesh recognizes seasonal industries.

CSPDCL has not reviewed its tariff structure in light of technological and environmental changes, nor the evolving role of agro-processing.

(ix) Cold Storage Tariff Disparity –

Similar cold storage units in LV-5 (vegetable storage at 4-6°C) are billed at lower tariff rates.

Our refrigeration at - 20°C is billed under HV-3 at higher rates, despite serving the same agricultural purpose.

(x) Environmental and Economic Considerations –

CSPDCL has introduced separate tariff categories for EV charging units, with no fixed charges, to promote environmental sustainability.

In the same manner, agricultural preservation units should be facilitated with minimum tariff rates, as they contribute to environmental sustainability by reducing wastage of natural produce.

Such facilitation will encourage more agro-processing industries in the state, thereby increasing GDP and generating employment.

(xi) Alignment with State Policy –

Chhattisgarh promotes agro-processing for sustainable development.

Equitable tariff treatment for vegetable preservation units will support this objective and sustain our operations.

Prayer for Relief :- In view of the above grounds, supported by CSERC Tariff Order dated 11.07.2025 (FY 2025-26), we respectfully pray that -

(a) Our connection (BP No. 1023811) be reclassified from HV-3 (Industry) to HV-5 (Irrigation and Agriculture Allied Services and Public Water Works Activities).

(b) The reclassification be made effective from the earliest permissible date under CSPDCL regulations.

(c) Consequential billing adjustments be made accordingly.

रायपुर (ग्रामीण)

We enclose copies of our earlier application dated 03.02.2018, production certificate dated 19.01.2019, and other supporting documents for your kind consideration. A favourable order in this regard shall be highly valued.

2. यह कि उत्तरवादी अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) वृत्त, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 234 दिनांक 13.04.2026 को सूचित किया है कि :–

(i) Nature of Activity (Agriculture Allied Service) :-

(अ) कोई टिप्पणी नहीं ।

(ब) कोई टिप्पणी नहीं ।

(स) कार्यपालक निदेशक (RA&PM), छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लि., रायपुर के पत्र क्रमांक 5913 दिनांक 11.03.2026 आवेदक को संबोधित करते हुए लेख किया गया है कि :– As per District Trade & Industries Centre Raipur Registration certificate, the purpose of connection in preservation of fruits & vegetables, other vegetable & pulse, frozen, peas frozen is not included under HV-5 Category of tariff schedule for the year 2025-26. Hence, your request for change in tariff category from HV-3 to HV-5 is not acceptable.

(ii) Seasonal Demand Profile :-

(अ) वर्तमान टैरिफ का आधार Seasonal Basis पर न होकर Demand Basis हो गया है ।

(ब) कोई टिप्पणी नहीं ।

(स) उपरोक्त कंडिका 2 (अ) के अनुसार ।

(iii) Past Application Ignored :-

(अ) आवेदक द्वारा दिनांक 03.02.2018 को एच.वी.–5 में स्वीकृत कर संशोधित आदेश जारी करने हेतु आवेदन किया गया था, जिसके तुरंत बाद आवेदक द्वारा दिनांक 15.02.2018 को एच.वी.–3 (अन्य उद्योग) के लिए स्वयं अनुरोध संपादित किया गया है ।

(ब) आवेदक द्वारा दिनांक 03.02.2018 को एच.वी.–5 में परिवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, ठीक तुरंत बाद ही उनके द्वारा एच.वी.–3 (अन्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

उद्योग)· के लिए दिनांक 15.02.2018 को अनुबंध किया है जिसकी स्वीकृति से संबंधित जानकारी आवेदक को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5794 दिनांक 16.02.2018 के माध्यम से प्रदान की गई है । उसके बाद भी आवेदक द्वारा यह कहा जाना कि किसी भी प्रकार की कार्यवाही/सूचना नहीं दी गई, तथ्यों को छुपाकर माननीय फोरम के समक्ष गलत सूचना प्रस्तुत की जा रही है ।

(iv) Regulatory Precedent (Milk Chilling Plants :-

(अ) कोई टिप्पणी नहीं ।

(ब) कंडिका 1 (स) के अनुसार ।

(v) Residual Nature of HV-3 :-

(अ) कोई टिप्पणी नहीं ।

(ब) कंडिका 1 (स) के अनुसार ।

(vi) Unfair Cost Burden :-

(अ) अनुबंध के अनुसार देयक जारी किया जा रहा है ।

(ब) कोई टिप्पणी नहीं ।

(vii) Government Recognition :-

(अ) कंडिका 1 (स) के अनुसार ।

(viii) Comparative Policy in Other State :-

(अ) कोई टिप्पणी नहीं ।

(ब) कोई टिप्पणी नहीं ।

(स) कोई टिप्पणी नहीं ।

(ix) Cold Storage Tariff Disparity :-

(अ) कंडिका 1 (स) के अनुसार ।

(ब) अनुबंध के अनुसार देयक जारी किया जा रहा है ।

(x) Environmental & Economic Consideration :-

(अ) कोई टिप्पणी नहीं ।

(ब) कोई टिप्पणी नहीं ।

(स) कोई टिप्पणी नहीं ।

(xi) Alignment with State Policy :-

(अ) कोई टिप्पणी नहीं ।

(ब) कंडिका 1 (स) के अनुसार ।

. Prayer for Relief :-

(अ) कंडिका 1 (स) के अनुसार । अतः आवेदक का प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

(ब) कंडिका 3 (ब) के अनुसार । अतः आवेदक का वाद खारिज किये जाने योग्य है ।

(स) अनुबंध के अनुसार देयक जारी किया जा रहा है ।

उपरोक्तानुसार वादी का वाद प्रचलित नियमों एवं तथ्यों से सर्वथा परे है, अतः वाद आधारहीन होने के कारण पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

**फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :–** दिनांक 20.04.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है :–

3. यह कि ग्राम नहनाचंडी, अभनपुर जिला रायपुर स्थित आवेदक के परिसर में मेसर्स आर.वाय.बी. फ्रोजेन फूड्स प्रा.लि. के नाम पर 750 के.व्ही.ए. भार का उच्चदाब (33 के.व्ही.) विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1023811 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा वर्ष 2018 में प्रदाय किया गया है ।

4. यह कि आवेदक द्वारा वर्ष 2018 में अपने नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु अनुबंध निष्पादित किए जाने के पूर्व अपने परिसर में किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख करते हुए उत्तरवादी को पत्र लिखकर अपने विद्युत कनेक्शन के लिए स्वीकृत टैरिफ श्रेणी HV3 (Other Industrial and General Purpose Non-Industrial) के स्थान पर टैरिफ श्रेणी HV5(Irrigation & Agriculture Allied Activities, Public Water Works) के अनुसार टैरिफ पुनरीक्षित किए जाने का निवेदन किया गया था लेकिन उत्तरवादी द्वारा आवेदक के साथ टैरिफ श्रेणी HV3 (Other Industrial and General Purpose Non-Industrial) के अनुसार ही अनुबंध निष्पादित करते हुए कनेक्शन प्रदान कर दिया गया ।

आवेदक द्वारा दिनांक 15.12.2025 को कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं उ.प्र.) रायपुर को पत्र लिखते हुए अपने टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन किए जाने का निवेदन किया गया जिसे कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं उ.प्र.) रायपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.03.2026 के माध्यम से अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया गया ।

5. यह कि अपने परिसर में होने वाले कृषि उत्पादों के कम तापमान पर संरक्षण कार्य के लिए माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ शेड्यूल की टैरिफ श्रेणी HV5 (Irrigation & Agriculture Allied Activities, Public Water

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर (ग्रामीण)

Works) लागू होने के दावे को उत्तरवादी द्वारा खारिज कर दिए जाने की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर एवं अपने विद्युत कनेक्शन के लिए टैरिफ श्रेणी HV3 के स्थान पर टैरिफ श्रेणी HV5 लागू किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने के निवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

6. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 234 दिनांक 13.04.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन हेतु अनुबंध निष्पादन से पूर्व दिनांक 03.02.2018 को पत्र लिखकर आबंटित टैरिफ श्रेणी HV3 को पुनरीक्षित करते हुए टैरिफ श्रेणी HV5 स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया था लेकिन इसके बाद दिनांक 15.02.2018 को टैरिफ श्रेणी HV3 (Other Industrial and General Purpose Non-Industrial) के अनुसार स्वयं ही अनुबंध संपादित कर दिया गया । अनुबंध निष्पादन पश्चात इसकी सूचना आवेदक को पत्र दिनांक 16.02.2018 के माध्यम से प्रदान कर दी गयी थी ।

कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं उ.प्र.) रायपुर द्वारा भी आवेदक को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 11.03.2026 के माध्यम से आवेदक की मांग को अस्वीकार्य बताया गया है ।

7. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

अ. क्या आवेदक द्वारा अपने परिसर में किया जा रहा कार्य माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ शेड्यूल 2025–26 की टैरिफ श्रेणी HV5 (Irrigation & Agriculture Allied Activities, Public Water Works) की प्रयोज्यता में शामिल है ।

ब. क्या किसी टैरिफ श्रेणी की प्रयोज्यता में किसी नये कार्य अथवा गतिविधि को जोडने के लिए उत्तरवादी अधिकृत है ।

## विवेचना एवं निष्कर्ष

8. यह कि पूर्व में आवेदक का यह प्रकरण छ.रा. विद्युत उपभोक्ता परिषद रायपुर के माध्यम से माननीय छ.रा. विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है । माननीय आयोग द्वारा प्रकरण पर सुनवाई करते हुए इसे ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया ।

9. यह कि फोरम के समक्ष प्रस्तुत अपने आवेदन मे आवेदक द्वारा लेख किया गया है कि उसके परिसर में कृषि उत्पादों यथा मटर, गोभी, भिंडी एवं आलू जैसी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

सब्जियों को कम तापमान पर संरक्षित रखने का कार्य किया जाता है जो कि सीधे कृषि सहवर्ती कार्य से संबंधित है । आवेदक के अनुसार माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ शेड्यूल 2025–26 की टैरिफ श्रेणी HV5 में milk chilling plant को शामिल किया गया है एवं उसके द्वारा अपने परिसर में किया जा रहा कार्य भी तकनीकी रूप से इसके समान ही है । इस साम्यता के आधार भी उसका विद्युत कनेक्शन टैरिफ श्रेणी HV5 के अंतर्गत बिलिंग किए जाने योग्य है ।

इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि किसी उपभोक्ता को किसी टैरिफ श्रेणी विशेष का आबंटन उसके परिसर में किए जा रहे कार्य के, संबंधित टैरिफ श्रेणी की प्रयोज्यता में शामिल होने के आधार पर किया जाता है । टैरिफ श्रेणी HV5 की प्रयोज्यता में शामिल किसी कार्य या गतिविधि से मात्र साम्यता के आधार पर आवेदक के विद्युत कनेक्शन की टैरिफ श्रेणी को HV3 के स्थान पर टैरिफ श्रेणी HV5 में पुनर्वर्गीकृत किया जाना संभव नहीं है ।

**10.** यह कि आवेदक द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन की टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन किए जाने का निवेदन करते हुए प्रेषित पत्र दिनांक 15.12.2025 के प्रत्युत्तर में कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं उ.प्र.) रायपुर द्वारा आवेदक को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 11.03.2026 में लेख किया गया है कि – As per District trade and Industries centre, Raipur registration certificate, the purpose of connection is "Preservation of fruits and vegetables, other vegetables and pulse, frozen peas frozen" is not included under HV-5 category of tariff schedule for the year 2025-26. Hence your request for change in tariff category from HV-3 to HV-5 is not acceptable.

उत्तरवादी के अनुसार चूंकि आवेदक के परिसर में संपादित कार्य माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ शेड्यूल 2025–26 की टैरिफ श्रेणी HV5 की प्रयोज्यता में शामिल नहीं है अतः आवेदक का अपने विद्युत कनेक्शन की टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन किए जाने का निवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है ।

माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ शेड्यूल 2025–26 की टैरिफ श्रेणी HV5 की प्रयोज्यता का अवलोकन किए जाने पर स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपने परिसर में किया जा रहा कार्य इसमें दर्शायी गयी गतिविधियों में शामिल नहीं है एवं कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं उ.प्र.) रायपुर द्वारा आवेदक के,

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर (ग्रामीण)

अपने विद्युत कनेक्शन की टैरिफ श्रेणी HV3 को बदलकर टैरिफ श्रेणी HV5 किए जाने के निवेदन को खारिज कर दिया गया है ।

आवेदक द्वारा दावा किया गया कि कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं उ.प्र.) रायपुर द्वारा उसके आवेदन को खारिज कर दिए जाने संबंधी पत्र दिनांक 11.03.2026 के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है और ऐसा कोई पत्र उसे आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है । फोरम द्वारा कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं उ.प्र.) रायपुर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि आवेदक को उपलब्ध करायी गयी ।

**11.** यह कि आवेदक द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन के कृषि चक्र पर आधारित एवं तद्नुसार मौसमी (Seasonal) कनेक्शन होने के आधार पर भी टैरिफ श्रेणी HV5 आबंटित किए जाने का निवेदन किया गया है । अवगत हो कि किसी विद्युत कनेक्शन का Seasonal होना मात्र ही उसे कोई टैरिफ श्रेणी विशेष आबंटित किए जाने का आधार नहीं है ।

**12.** यह कि आवेदक द्वारा दिनांक 27.04.2026 को प्रस्तुत पूरक आवेदन में सप्लाई कोड की कंडिका 3.10 एवं 3.11 का उल्लेख करते हुए लेख किया गया है कि अपने विद्युत कनेक्शन की टैरिफ श्रेणी परिवर्तित किए जाने संबंधी आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरवादी अधिकृत है लेकिन उसके आवेदन पर की गयी कार्यवाही के संबंध में आज दिनांक तक किसी प्रकार की सूचना प्रदान नहीं की गयी है ।

सप्लाई कोड की कंडिका 3.10 एवं 3.11 यथा –

3.1 The classification of consumer, tariff and conditions of supply applicable to each category of consumers shall be as fixed by the Commission from time to time in the tariff order passed under section 62 of the Act or otherwise. The licensee may classify or reclassify consumers into various categories from time to time as per classification done by the commission in tariff order.

3.2 Interpretation of Commission on classification of consumer and applicability of tariff will be final and binding on licensee and consumer both.

के अनुसार उपभोक्ताओं का, विभिन्न टैरिफ श्रेणियों में वर्गीकरण माननीय आयोग द्वारा टैरिफ आदेश के माध्यम से किया जाना है एवं माननीय आयोग द्वारा

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर
(ग्रामीण)

टैरिफ़ आदेश के माध्यम से किए गए उपभोक्ताओं के ऐसे वर्गीकरण के आधार पर ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्तों को संबंधित टैरिफ श्रेणी का आबंटन अथवा पुनर्वर्गीकरण किया जाना है । विभिन्न टैरिफ श्रेणियों में उपभोक्ताओं के वर्गीकरण एवं विभिन्न टैरिफ श्रेणी की प्रयोज्यता के संबंध में माननीय आयोग द्वारा किया गया विश्लेषण ही अंतिम होगा जो उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी दोनों के लिए बाध्यकारी होगा ।

कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं उ.प्र.) रायपुर द्वारा भी माननीय आयोग द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए जारी टैरिफ आदेश के माध्यम से बतायी गयी HV-5 category की प्रयोज्यता के आधार पर ही आवेदक के टैरिफ श्रेणी परिवर्तन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है जो कि सप्लाई कोड की कंडिका 3.1 एवं 3.2 के अनुसार ही है । अनुज्ञप्तिधारी, टैरिफ श्रेणी HV5 की प्रयोज्यता में दर्शायी गयी गतिविधियों में कोई नयी गतिविधि जोड़ने के लिए अधिकृत नहीं है ।

**13.** यह कि फोरम, यह मानते हुए कि आवेदक के आवेदन पर, सप्लाई कोड की कंडिका 3.10, 3.11 एवं टैरिफ शेड्यूल 2025–26 की कंडिका 1.2.13 उपकंडिका 14 के अनुसार, माननीय आयोग द्वारा जारी वर्ष 20258–26 के टैरिफ आदेश की टैरिफ श्रेणी HV5 की प्रयोज्यता में परिवर्तन किए जाने/किसी नयी गतिविधि को जोडे जाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी अधिकृत नहीं है, अपने विद्युत कनेक्शन की टैरिफ श्रेणी HV3 को बदलकर HV5 किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित करने के आवेदक के आवेदन को खारिज करता है ।

**14.** आदेश पारित ।

**15.** प्रकरण निराकृत ।

**16.** यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया । निर्णय घोषित किया गया

(अशोक खण्डेलवाल)
**अध्यक्ष**
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)